28/17 अब्दुल v/s जबरआर वगै०

27/6/17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र सड़ा में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। 27/6/17 उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र सड़ा)

पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.28 / 2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.अब्दुल		1 जबरगर पुत्र पुनमगर
2.मोहम्मद		2.भीमगर पुत्र शवगर स्वामी
3.अनवर पिसरान हाजी		3.सुजा पुत्र चिमना देवारी
जाति मोयला,कुम्हार		4.छोगाराम पुत्र वीरमाराम मेगवाल
निवासी सड़ा		5.चैनाराम पुत्र वीरमाराम मेगवाल
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		6.महबुब पुत्र पीरा जाति मोयला कुम्हार
		7.राजु पुत्र चौखाराम जाति मेगवाल
		8.पदमाराम पुत्र चौखाराम जाति मेगवाल
		9.सुमार पुत्र प्रागा जाति मोयला कुम्हार
		निवासी सड़ा तहसील सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री बीजाराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी स.1 से 9 एकरतफा।

आदेश

दिनांक–27.6.2017

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सड़ा पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 366/4 व 408/4 कुल रकबा 31–07 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सड़ा पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 366/4 व 408/4 कुल रकबा 31–07 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी दिनांक 18.3.2017 को करवाई गई। एवं विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सड़ा पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 366/4 व 408/4 कुल रकबा 31–07 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम सड़ा पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 366/4 व 408/4 कुल रकबा 31–07 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम सड़ा पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 366/4 व 408/4 कुल रकबा 31–07 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

हखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्राथीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सड़ा पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 366/4 व 408/4 कुल रकबा 31—07 बीघा** भूमि के सबंध मे सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

27/6/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27/6/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

27/6/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner